पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक-25.04.2024

दिनांक 24/25.04.2024 को थाना कृष्णानगर 01, आशियाना 01, पीजीआई 02 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 पश्चिमी

2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम(गैंगेस्टर एक्ट)-

थाना दुबग्गा- दिनांक 24.04.2024 को थाना दुबग्गा द्वारा बताया गया कि प्रभारी निरीक्षक श्री अभिनव कुमार वर्मा थाना दुबग्गा द्वारा दौराने चेकिंग व आगामी लोकसभा चुनाव-2024 के मद्देनजर अभियुक्त 01-गैंगलीडर धीरज कुमार मौर्या पुत्र कमलेश मौर्या निवासी ग्राम करेन्द्र थाना माल जनपद लखनऊ 02- राजेश गौतम पुत्र मैकू लाल निवासी ग्राम जेहटा थाना दुबग्गा लखनऊ 03- मुकेश कुमार पुत्र भीमपाल निवासी ग्राम पटकापुर थाना रहीमाबाद लखनऊ 04- आशीष पुत्र पुत्तीलाल निवासी ग्राम निमारी सहजनवा थाना रहीमाबाद जनपनद लखऊ 05- सूरज पुत्र राम कुमार गौतम निवासी ग्राम बडखुरवा थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ के विरुद्ध **थाना दुबग्गा पर 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम(गैंगेस्टर एक्ट) की कार्यवाही की गई।**

सट्टा खेलते-खिलवाते समय गिरफ्तार-

थाना ठाकुरगंज-दिनांक 10.04.2024 को उ0नि0 श्री संतोष कुमार द्वारा दौराने गस्त मय हमराह के अभियुक्त 01-शावेज पुत्र मो0 अजीम नि0-सहादतगंज समराही रोड लखनऊ उम्र करीब 32 वर्ष 02- मो0 परवेज पुत्र चुंनन खाँ नि0-सहादतगंज समराही रोड लखनऊ उम्र 50 वर्ष 03-जय किशन प्रजापति पुत्र भैरो प्रसाद प्रजापति नि0-यादव मार्केट भूहर थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र 37 वर्ष को आपस में सट्टा पर्ची द्वारा रूपयों की हारजीत की बाजी लगाकर सट्टा खेलते व खिलवाते समय सार्वजनिक स्थान गुड़ भट्टा ठाकुरगंज लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से सट्टों के नंबरों की दो डायरी व पांच अदद कार्बन पेपर व 98 अदद पर्ची एवं 2,570/- रूपये नगद बरामद कर थाना ठाकुरगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

डी0सी0पी0 दक्षिणी

3(1) यूपी गुण्डा एक्ट-

थाना निगोहां- दिनांक 25.04.2024 को थाना निगोहाँ द्वारा बताया गया कि प्रभारी निरीक्षक श्री अनुज कुमार तिवारी थाना निगोहाँ द्वारा दौराने चेकिंग व आगामी लोकसभा चुनाव-2024 के मद्देनजर अभियुक्त 01- अमित पुत्र स्व0 जाखन उर्फ अजमेर सिंह निवासी ग्राम मीरकनगर थाना निगोहाँ लखनऊ के विरुद्ध **थाना निगोहाँ पर 3(1) यूपी गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गई।**

भा0द0वि0

थाना रहीमाबाद- दिनांक 25.04.2024 को थाना रहीमाबाद द्वारा बताया गया कि जरिए आरटीसेट द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि आज दिनांक 25.04.2024 को समय करीब 11.30 बजे ग्राम महबूबखेड़ा, मवईकलां थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ में मवईकलां की तरफ से आ रहा 01 ट्रैक्टर मय ट्राली जिसमें टेन्ट का सामान लदा था, ट्रैक्टर के आगे का पहिया निकल जाने से अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। उक्त सूचना पर स्थानीय पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुँचकर घायल 03 व्यक्तियों को सी०एच०सी० मलिहाबाद भेजा गया। जहाँ पर दौराने इलाज राजेश पुत्र श्री बाबूलाल उम्र करीब 32 वर्ष तथा शरीफ पुत्र स्व० सूबेदार उम्र करीब 35 वर्ष निवासीगण ग्राम मवईकलां थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ को डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया तथा घायल आशिफ उर्फ बकई पुत्र धनीराम उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम मवईकलां थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ का इलाज चल रहा है।

<u>थाना चिनहट-</u> दिनांक 25.04.2024 को थाना चिनहट द्वारा बताया गया कि वादिनी श्रीमती मोंगरा बाई केवट पत्नी कुशम्बु कुमार केवट निवासी वार्ड संख्या 11 बहटा मुंगेली छत्तीसगढ़ हालपता वास्तुखण्ड में फायर स्टेशन के पीछे झोपड़ी लखनऊ ने थाना चिनहट पर सूचना दिया कि वादिनी के पति कुशुम्बु कुमार केवट राजमिस्त्री थे जो दिनांक 24.04.2024 को समय सुबह 07:30 बजे काम पर मटियारी में किसी बिल्डर के यहां साइकिल से जा रहे थे कि चिनहट बाजार गल्ला मंडी में समय लगभग 07:45 बजे वादिनी के पति कुशुम्बु कुमार केवट को स्कूटी नम्बर UP32FH5462 के अज्ञात चालक द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए टक्कर मार दी जिससे वह घायल हो गये जिन्हे वहां मौजूद लोगों द्वारा एम्बुलेंस की मदद से इलाज हेतु लोहिया अस्पताल ले जाया गया जहां पर चिकित्सकों द्वारा वादिनी के पति कुशुम्बु कुमार केवट उपरोक्त को मृत घोषित कर दिया गया। **इस सूचना पर थाना चिनहट पर मु0अ0सं0 183/2024 धारा 279/304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

<u>थाना चिनहट-</u>दिनांक 25.04.2024 को थाना चिनहट द्वारा सूचना दिया गया कि राममनोहर लोहिया अस्पताल से एक किता मेमो इस आशय से भेजा गया कि दिनांक 24.04.2024 को समय करीब 15:57 बजे रामखेलावन उम्र करीब 45 वर्ष पुत्र सर्वजीत निवासी मनकापुर थाना लोनी कटरा जनपद बाराबंकी को इस अस्पताल में मृत अवस्था में लाया गया है। **इस सूचना पर उ0नि0 श्री रितेश सिंह मो0न0 8318065116** द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। जिनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 24.04.2024 को समय करीब 14:00 बजे राहुल ब्रिक्स फील्ड सुल्तानपुर रोड जनपद बाराबंकी से हाशेमऊ गोमतीनगर लखनऊ की ओर जा रहा एक ट्रक नं यूपी 32 ए 2559 देवरिया गांव थाना चिनहट के पास किसान पथ के ढाल पर पलट गया जिसमें रामखेलावन उपरोक्त की मौके पर मृत्यु हो गयी एवं ट्रक में बैठे दिलीप पुत्र रामखेलावन व चालक प्रदीप पुत्र परमानन्द निवासीगण- मनकापुर थाना लोनी कटरा जनपद बाराबंकी गम्भीर रूप से घायल हो गये जिन्हे इलाज हेतु एम्बुलेंस से राममनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक रामखेलावन व घायल दिलीप उपरोक्त भट्ठे पर काम करते थे। मृतक के 02 पुत्र और 01 पुत्री है।

<u>थाना गुडम्बा-</u>दिनांक 25.04.2024 को थाना गुडम्बा द्वारा बताया गया कि वादी श्री रंजीत मिश्रा पुत्र श्री सुशील मिश्रा निवासी- पैकरामऊ निकट जयपुरिया स्कूल थाना-गुडम्बा लखनऊ ने थाना गुडम्बा पर सूचना दिया कि दिनांक 24.04.2024 को वादी सपरिवार अपने उक्त घर में सो रहा था। वादी व उसकी पुत्री ग्राउण्ड फ्लोर पर सो रहे थे और वादी का पुत्र छत के ऊपर बने कमरे में सो रहा था। तभी रात्रि करीब 01.45 बजे 03 अज्ञात चोरों द्वारा जो नयी उम्र के लग रहे थे वादी के घर में घुसकर सोने-चांदी के कीमती जेवरात, 04 अदद मोबाइल फोन व 30,000/- रुपए चोरी कर लिया गया। आहट पाकर जब वादी व उसके परिजन आनन-फानन में जगे तो देखा कि मुंह पर गमछा बांधे हुए 03 अज्ञात चोर वादी के घर के सामने से फरार हो गए। **इस सूचना पर थाना गुडम्बा पर मु0अ0सं0 150/2024 धारा 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**